



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 404 राँची, शुक्रवार,

22 अगस्त, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप(वि०स०)-4-2/2020 का---31941 (HRMS)--परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 2231, दिनांक- 07.10.2020 के माध्यम से झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के पत्रांक-1418/वि०स०, दिनांक-29.09.2020 के साथ संलग्न चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के कार्यकाल में गठित प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की अनुशंसा इस विभाग को प्राप्त है ।

2. चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के कार्यकाल में गठित प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के द्वारा 28 वाँ प्रतिवेदन, 2014 की अनुशंसा से संबंधित कंडिका-9 में निम्नवत् अनुशंसा की गयी है:-

“जिला परिवहन पदाधिकारी को सचेष्टतापूर्वक कार्यों का निष्पादन करने हेतु चेतावनी दी जाय ।”

3. परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 2231, दिनांक- 07.10.2020 के अनुसार समिति के द्वारा जमशेदपुर जिला के संदर्भ में अनुशंसित तथ्य श्री संजय पी०एम० कुजूर, झा०प्र०से० (को० क्र०-782/03), तदेन जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से संबंधित है ।

अतः समीक्षोपरांत, चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के कार्यकाल में गठित प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के द्वारा 28 वाँ प्रतिवेदन, 2014 की अनुशंसा के आलोक में श्री संजय पी०एम०कुजूर, झा०प्र०से० (को० क्र०-782/03), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को 'सचेष्टापूर्वक कार्यों का निष्पादन करने हेतु चेतावनी' संसूचित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संजय पी०एम०कुजूर, झा०प्र०से० (को० क्र०-782/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANJAY P.M. KUJUR BHR/BAS/3592	श्री संजय पी० एम० कुजूर, झा०प्र०से० (को० क्र०-782/03), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को 'सचेष्टापूर्वक कार्यों का निष्पादन करने हेतु चेतावनी' संसूचित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
